

कार्यालय- प्रभारी पदाधिकारी नजारत, व्यवहार न्यायालय सिवान

सूचना

सेवा में,

प्रबन्धक

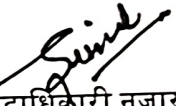
मेसर्स दुर्गा प्रताप सिंह

S.K. नगर, पटना ।

उक्त नोटिस के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है, कि अनुमंडल व्यवहार न्यायालय महाराजगंज के लिए A.C. (स्टैबलाईजर सहित) आपूर्ति करने हेतु कार्य आदेश वित्तीय वर्ष- 2025-26 के आरंभ में ही निर्गत किया गया था परन्तु आपके द्वारा अभी तक A.C. (स्टैबलाईजर सहित) की आपूर्ति नहीं किया गया है।

विदित है कि विधि विभाग बिहार सरकार के द्वारा 03 अदद A.C. (02 टन) तथा 03 अदद A.C. (1.5 टन) हेतु आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है, कि सूचना प्रकाशित होने के 03 दिनों के अन्दर उक्त A.C. को आपूर्ति करने का कष्ट करें अन्यथा आपके कार्य आदेश को रद्द करते हुए क्रय करने हेतु नयी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।


प्रभारी पदाधिकारी नजारत
व्यवहार न्यायालय सिवान
25.2.26